संख्या-34/2019/609/क0नि0प्र0/26-3-2019-18(51)/2018

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊः दिनांक: 24 जुलाई,2019
समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक समाज कल्याण के पत्रांक-472/स0क0 /विकास/गोण्डा/(08)/2019-20 दिनांक 25 जून,2019 के आलोक में शासनादेश संख्या-13/2018/481/क0नि0प्र0/26-3-2018-18(51)/2018 दिनांक 28 मार्च, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-मनकापुर के ग्राम भिटौरा, हरसिंगवा चौहान, पंडितपुर एवं विशुनपुर, विकास खण्ड नबावगंज के ग्राम बैजलपुर, रेहिली तथा विकास ख्ण्ड बजीरगंज के ग्राम माथेपुर कुल 07 गांवों में स्वीकृत/अनुमोदित कुल लागत के सापेक्ष रू0 200.10 लाख (रू0 दो करोड़ दस हजार मात्र) को अधूरे अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.nic.in

रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद- गोण्डा (धन0 लाख रू0 में)

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	आवंटित प्रथम किश्त	आवंटित की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
मनकापुर	पंडितपुर	रबर मोल्डिंग इण्टर लाकिंग टाइल द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	47.76	11.94	35.82
	विशुनपुर	रबर मोल्डिंग इण्टर लाकिंग टाइल द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	51.62	12.91	38.71
	हरसिगवां चौहान	रबर मोल्डिंग इण्टर लाकिंग टाइल द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	14.34	3.59	10.75
	भिटौरा	रबर मोल्डिंग इण्टर लाकिंग टाइल द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	18.00	4.50	13.50
नबावगंज	बैजलपुर	रबर मोल्डिंग इण्टर लाकिंग टाइल द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	48.25	12.06	36.19
	रेहली	रबर मोल्डिंग इण्टर लाकिंग टाइल द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	52.98	13.25	39.73
बजीरगंज	माथेपुर	रबर मोल्डिंग इण्टर लाकिंग टाइल द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	33.87	8.47	25.40
		योग-	266.82	66.72	200.10

(रू0 दो करोड़ दस हजार मात्र)

1- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यदायी संस्था यू.पी.स्टेट कांस्ट्रक्श्न एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेश्न लि0 से कार्य कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- निदेशक,समाज कल्याण द्वारा धनराशि आहरित कर उक्त कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध कराकर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त कार्य मद में अधिष्ठान व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र अवशेष कार्यो को पूरा किया जायेगा। प्रयोजना के निर्माण के बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए निर्माण इकाई उत्तरदायी होगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी./ टी.एस.पी. हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों तथा योजना संचालन संबंधी निर्गत शासनादेश संख्या-664/ क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

5- प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

6- संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

7- स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सदुपयोग प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

पृ.संख्या-34/2019/609(1) /क0नि0प्र0/26-3-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2-जिलाधिकारी,गोण्डा।
3-कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गोण्डा।
4-वित्त नियंत्रक,समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5-जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गोण्डा।
6-प्रबन्ध निदेशक,यू.पी.स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) गोमती नगर, लखनऊ।
7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/ बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण।
8-गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।